[2018]14 एस.सी.आर.392

सम्पूर्ण बेहरुआ

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(एमए नंबर 2069/2018)

(डब्ल्यूपी (सी) नंबर 473/2005) 27 नवंबर, 2018

[मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता, माननीय न्यायाधीश।] बाल किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 - हिंसा के शिकार बच्चों के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) - एनसीपीसीआर द्वारा अध्ययन की रिपोर्ट - बाल संरक्षण नीति - बच्चों के लाभ के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं - बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट - राज्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का अध्ययन - आगे सूचीबद्ध हेतु निर्देशित।

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: 2005 की रिट याचिका (सी) संख्या 473 में 2018 का एमए नंबर 2069।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

सुश्री अपर्णा भट, (ए.सी.), सुश्री शिवांगी सिंह, टिपू निंगोमबम, एडवोकेट।

संपूर्ण बहरूआ (कोर्ट मोशन द्वारा)।

पिंकी आनंद, एएसजी, नीरज गुप्ता, अंशु गुप्ता, शैलिंदर सैनी, एस वसीम ए कादरी, बीवी बलराम दास, राज बहादुर यादव, स्निधा मेहरा, चकितन विक्रम शेखर पाप्टा, आर आर राजेश, विकास बंसल, जीएस मक्कड़, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, सुधीर नागर, बिनय कुमार पांडे, सुश्री वृंदा ग्रोवर, सौतिक बनर्जी, डॉ अनिंदिता पुजारी, सुश्री आरती कुमार, सुश्री आरती कुमार, सुश्री हर्षा गर्ग, उपस्थित पक्षों के अधिवक्ता।

(न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:)

<u>आदेश</u>

वर्तमान याचिका में छह मुद्दे हैं जिन पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है:

(392 संपूर्ण बेहरुआ बनाम भारत संघ और ओआरएस।)

1. हिंसा के शिकार बच्चों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तय करके हमें सूचित किया गया है (और आदेश दिनांक 08.10.2018 में दर्ज किया गया है) कि बच्चों की यौन एवं अन्य समस्या संबोधित करने के लिए एक (एसओपी) महिला और बाल विकास मंत्रालय, हिंसा, यौन या अन्य समस्या को संबोधित करने के लिए एक एसओपी तैयार/विकसित करने की प्रक्रियाधीन है। उक्त एसओपी विभिन्न देखभाल संस्थानों में रह रह बच्चों तथा अन्य बच्चों के संबंध में है। जहां पर बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो सकती। यह बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों और यहां तक कि अन्य बच्चों के संदर्भ में है जो आवश्यक रूप से बाल देखभाल संस्थानों में नहीं हो सकते हैं। आज, हमें एएसजी द्वारा बताया गया है कि एसओपी तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच, सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक अंतरिम परामर्श जारी किया गया है, जिसमें प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। न्यायमित्र का कहना है कि

वह परामर्श पर गौर करना चाहती हैं और अपनी टिप्पणी देना चाहती हैं क्योंकि यह जानकारी आज न्यायालय में दी गई है।

2. एनसीपीसीआर द्वारा अध्ययन की रिपोर्ट विद्वान एएसजी द्वारा यह कहा गया है कि एनसीपीसीआर द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। जिसे 10 राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है और 12 अन्य राज्यों के साथ रिपोर्ट साझा करने की प्रक्रिया चल रही है, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि रिपोर्ट को शेष राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जा रहा है या नहीं। एनसीपीसीआर के वकील द्वारा यह बताया गया है कि कुछ राज्यों ने अभी तक बाल किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों की संख्या के संबंध में जानकारी नहीं दी है।

हम राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करते हैं कि पंजीकरण पूरा हो जाए और कम से कम संबंधित राज्यों में रह रहे बच्चों के लिए एनसीपीसीआर को सूचना दी जाए। यह कार्य दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए।

3. बाल संरक्षण नीति: 08.10.2018 को, हमें सूचित किया गया कि बाल संरक्षण नीति तैयार है और इसमें लगभग दो महीने लगेंगे। आज बताया गया कि पहला मसौदा दिसंबर, 2018 में तैयार हो जाएगा। हमने 08.10.2018 को जो कुछ भी दर्ज/निर्देशित किया है, हम उसे दोहराते हैं कि जब पहला मसौदा उपलब्ध हो, तो इसे व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए और विद्वान न्यायमित्र को भी दिया जाना चाहिए ताकि सभी संबंधितों/संस्थानों/राज्यों लोगों से सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।

(सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.)

4. बच्चों के लाभ के लिए राष्ट्रीय संस्थान विद्वान एएसजी द्वारा यह कहा गया है कि मामले को व्यय विभाग को भेज दिया गया है और अस्थायी रूप से राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान के 08.10.2018 के आदेश में दिए गए सुझाव के संदर्भ में मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

5. बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्डों के संबंध में स्थिति रिपोर्ट विद्वान एएसजी ने हमें 08.10.2018 के आदेश के अनुपालन में सौंपी है। हम यह पाते हैं कि रिपोर्ट अधूरी है क्योंकि बड़ी संख्या में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में वैध सूचना सितंबर, 2018 तक है। स्थिति रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्यों के सभी जिलों में बाल कल्याण समितियां मौजूद हैं, जिनके लिए नवंबर, 2018 तक जानकारी उपलब्ध है। वह कहती हैं कि वह इस मामले की जांच करेंगी और पूरी स्थिति रिपोर्ट देंगी और इसे राज्य सरकारों के साथ भी उठाएंगी।

6. राज्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अध्ययन में यह कहा गया है कि राज्य सरकारों ने 18.09.2018 को हुई बैठक के अनुसरण में बाल देखभाल संस्थानों की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। राज्य सरकारों को रिपोर्टों का अध्ययन करने और 30.11.2018 को या उससे पहले अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना देने के लिए कहा गया है। मामले को जनवरी, 2019 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें। न्यायमित्र द्वारा यह बताया गया है कि 18.09.2018 को आयोजित बैठक के बाद प्रस्तुत की गई रिपोर्ट भी कुछ मामलों में अधूरी हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय को इसे राज्यों के साथ उठाना चाहिए कोई भी हलफनामा या स्थिति रिपोर्ट दायर करने का यदि प्रस्ताव है, तो कम से कम तीन दिन पहले विद्वान न्यायमित्र को सौंप दिया जाना चाहिए।

(अंकित ज्ञान आगे की लिस्टिंग के लिए निर्देश।)

(श्वेता यादव)

ए०सी०जे०एम०/अपर सिविल जज (सी०डि०)

न्यायालय सं० 2, बरेली।